

आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड नई दिल्ली

प्रशिक्षण तथा निगरानी विभाग

दिनांक: 21.10.2026

सूचना

विषय: राज्य सरकार/ईएसआई/रेलवे/पीएसयू/एएफएमएस द्वारा आयोजित काउंसलिंग के माध्यम से इन-सर्विस सीटों (डीएनबी पोस्ट एमबीबीएस/एनबीईएमएस डिप्लोमा) के लिए चयनित उम्मीदवारों की काउंसलिंग और जॉइन होना - 2026 प्रवेश सत्र

कृपया ध्यान दें: इन-सर्विस उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 50% एनबीईएमएस राज्य कोटा सीटों के लिए काउंसलिंग में भाग लेने वाले उम्मीदवार/संस्थान/अस्पताल

1. डीएनबी पोस्ट एमबीबीएस/एनबीईएमएस डिप्लोमा) राज्य सरकार /ईएसआई /रेलवे /पीएसयू /एएफएमएस द्वारा उनके पास रखी गई सीटें, संबंधित राज्य सरकार/ ईएसआई/ रेलवे/ पीएसयू/ एएफएमएस के काउंसलिंग प्राधिकरण द्वारा आयोजित काउंसलिंग के माध्यम से भरी जानी हैं।
2. सभी संबंधित राज्य काउंसलिंग संचालन प्राधिकरणों को चिकित्सा काउंसलिंग समिति (एमसीसी) द्वारा प्रकाशित दिशानिर्देशों और काउंसलिंग कार्यक्रम का सख्ती से पालन करना होगा। राज्य प्राधिकरणों के लिए काउंसलिंग अनुसूची <https://mcc.nic.in/> पर उपलब्ध है।
3. **एनबीईएमएस के 08.07.2026 के नोटिस** के अनुसार, डीएनबी पोस्ट डिप्लोमा 2026 एडमिशन सत्र के लिए काउंसलिंग 20.08.2026 को पूरी हो चुकी है। इस नोटिस द्वारा निर्देशित सूचना डीएनबी पोस्ट डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए नहीं है।
4. संबंधित काउंसलिंग प्राधिकरण द्वारा सीटों के आवंटन के बाद सभी उम्मीदवारों को काउंसलिंग अनुसूची के अनुसार आवंटित संस्थानों/अस्पतालों में निर्धारित मूल दस्तावेजों, "काउंसलिंग प्राधिकरण द्वारा जारी सीट आवंटन पत्र" और मूल संगठनों द्वारा जारी "कार्यमुक्त पत्र" के साथ रिपोर्ट करना होगा।
5. सभी अस्पतालों/संस्थानों को उम्मीदवार के अस्पताल में जॉइन होने के समय मूल निर्धारित दस्तावेजों को संबंधित काउंसलिंग प्राधिकरण द्वारा जारी सीट आवंटन पत्र और उनके मूल संगठनों द्वारा सेवा में शामिल उम्मीदवारों को जारी कार्यमुक्त पत्र के साथ सत्यापित करने की आवश्यकता है। कृपया आवंटित सीट पर प्रवेश के लिए उम्मीदवार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों की पूर्ति सुनिश्चित करें।

6. उम्मीदवार की चिकित्सा जांच संबंधित एनबीईएमएस मान्यता प्राप्त संस्थान के मेडिकल बोर्ड द्वारा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा में योग्य पाए गए उम्मीदवारों को ही पाठ्यक्रम में जॉइन होने की अनुमति दी जाएगी।
7. किसी भी उम्मीदवार को राज्य काउंसलिंग के लिए एमसीसी द्वारा प्रकाशित काउंसलिंग अनुसूची में निर्धारित समय अवधि के बाद आवंटित सेवा-कालीन एनबीईएमएस सीटों में काउंसलिंग होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालाँकि, उम्मीदवार के नियंत्रण से परे कारणों से निर्धारित समय के भीतर मूल संगठन से कार्यमुक्ति नहीं मिलने की स्थिति में, समर्थन में दस्तावेजों के साथ आवंटित संस्थान के माध्यम से विलंबित जॉइन होने की अनुमति देने का अनुरोध प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। संस्था से मुक्त होने के बाद ही जॉइन होने की तिथि होगी।
8. 2026 प्रवेश सत्र के लिए, अस्पताल/संस्थान राज्य कोटा काउंसलिंग के माध्यम से इन-सर्विस एनबीईएमएस सीटों में आवंटित उम्मीदवारों का आवंटन डेटा केवल एमसीसी द्वारा आयोजित एआईक्यू नीट पीजी 2026 काउंसलिंग के सभी दौरों के समापन के बाद ही अपलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अधिसूचना एनबीईएमएस द्वारा नियत समय पर प्रकाशित की जाएगी। सभी अस्पतालों/संस्थानों और उम्मीदवारों को समय-समय पर एनबीईएमएस द्वारा जारी नोटिस के बारे में खुद को अपडेट रखना आवश्यक है।
9. भाग लेने वाले अस्पतालों/संस्थानों और उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एमसीसी द्वारा जारी और अधिसूचित काउंसलिंग दिशानिर्देशों का पालन करें और काउंसलिंग प्रक्रियाओं के बारे में अपडेट प्राप्त करने के लिए एमसीसी की वेबसाइट पर नियमित रूप से जांच करते रहे।
10. निर्धारित पात्रता मानदंडों के विपरीत पाया गया कोई भी आवंटन अस्वीकृति/रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा।
11. एमसीसी द्वारा निर्धारित समय-सीमा का उद्देश्य प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता, एकरूपता, निश्चितता और शैक्षणिक कैलेंडर का पालन सुनिश्चित करना है। निर्धारित अनुसूची से कोई भी विचलन पंजीकरण, प्रशिक्षण समय-सीमा, परीक्षाओं के लिए पात्रता और उम्मीदवारों और संस्थानों पर लागू अन्य नियामक अनुपालन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।
12. तदनुसार, सभी राज्य/संबंधित परामर्श प्राधिकरणों को सख्ती से सलाह दी जाती है:
 - राज्य कोटा काउंसलिंग के लिए एमसीसी द्वारा जारी काउंसलिंग कार्यक्रम और परिचालन दिशानिर्देशों का पालन करें;
 - निर्धारित समय सीमा के भीतर एनबीईएमएस मान्यता प्राप्त डीएनबी पोस्ट एमबीबीएस/एनबीईएमएस डिप्लोमा राज्य इन-सर्विस कोटा सीटों के लिए काउंसलिंग, सीट आवंटन, काउंसलिंग होने और प्रवेश के सभी दौरों को पूरा करना सुनिश्चित करें; और
 - एमसीसी द्वारा निर्धारित समय सीमा से परे काउंसलिंग, आवंटन या प्रवेश आयोजित करने से बचें।

13. यह एनबीईएमएस-मान्यता प्राप्त अस्पताल/संस्थान की जिम्मेदारी होगी कि प्रशिक्षु को एनबीईएमएस पाठ्यक्रम में जॉइन होने की अनुमति देने से पहले प्रशिक्षु निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है।
14. अस्पताल/संस्थान प्रशिक्षु के मूल दस्तावेजों की जांच करते समय उचित परिश्रम का प्रयोग करेगा, जिसमें शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, श्रेणी, पात्रता और अन्य आवश्यकताओं से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं।
15. यदि कोई अस्पताल/संस्थान किसी उम्मीदवार को एनबीईएमएस पाठ्यक्रम में शामिल होने की अनुमति देने या पंजीकरण के लिए जानबूझकर या लापरवाही से झूठे, मनगढ़ंत, गलत या अन्यथा अपर्याप्त रिकॉर्ड/जानकारी/दस्तावेज को मंजूरी/अग्रेषित करता है, तो अस्पताल/संस्थान एनबीईएमएस नियमों, विनियमों, निर्देशों और प्रत्यायन मानदंडों के तहत उचित कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें ऐसे उम्मीदवार पर ₹1,00,000/- (रुपये एक लाख) का मौद्रिक जुर्माना भी शामिल है, जहां भी लागू हो।
16. यह सूचना भविष्य के प्रवेश सत्रों में इस तरह के मुद्दों की पुनरावृत्ति से बचने और परामर्श और पंजीकरण प्रक्रिया के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है।
17. काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में अधिक स्पष्टीकरण के लिए, कृपया <https://mcc.nic.in/> पर एमसीसी से संपर्क करें।
18. एनबीईएमएस से संबंधित प्रश्नों के लिए, कृपया इसके संचार वेब पोर्टल: <https://exam.natboard.edu.in/communication.php?page=main> के माध्यम से एनबीईएमएस से संपर्क करें।

नोट: अंग्रेजी संस्करण और हिंदी संस्करण के बीच किसी भी विसंगति, असंगति या अर्थ में अंतर की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को अंतिम और बाध्यकारी पाठ के रूप में माना जाएगा।



एनबीईएमएस



**NATIONAL BOARD OF EXAMINATIONS
IN MEDICAL SCIENCES
NEW DELHI
Department of Training and Monitoring**

Date: 21.10.2026

NOTICE

Subject: Counseling and Joining of candidates selected for In-service seats (DNB Post MBBS / NBEMS Diploma) through the Counseling conducted by the State Govt./ ESI/ Railways/ PSUs/ AFMS – 2026 admission session

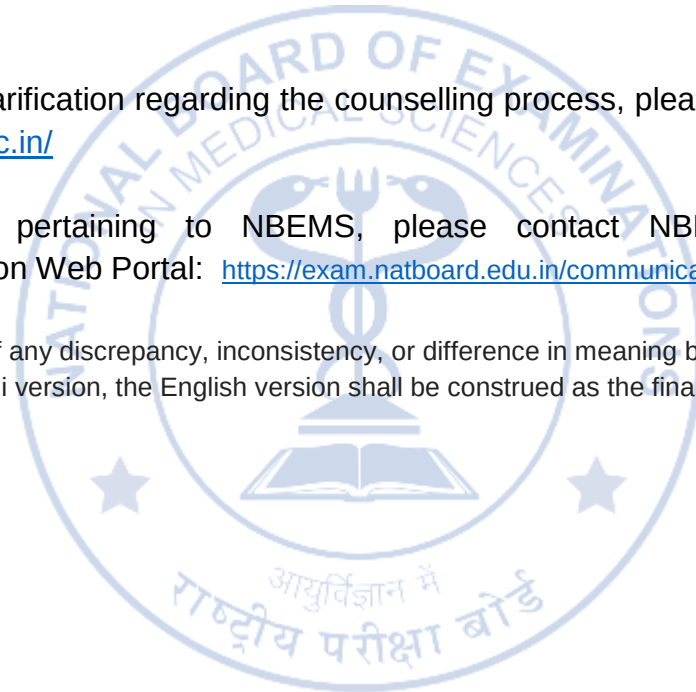
Kind Attn: Candidates/ Institutes/ Hospitals participating in Counseling for 50% NBEMS State Quota seats reserved for In-service candidates.

1. DNB (Post MBBS/NBEMS Diploma) seats retained by the State Govt./ ESI/ Railways/ PSUs/ AFMS are to be filled through counseling conducted by the counseling authority of the concerned State Govt./ ESI/ Railways/ PSUs/ AFMS.
2. All the concerned State Counseling Conducting Authorities are required to strictly adhere to the guidelines and Counseling schedule published by Medical Counselling Committee (MCC). The Counselling schedule for State Authorities is available at <https://mcc.nic.in/>
3. **The counseling for admission to DNB Post Diploma 2026 admission session is already completed on 20.08.2026 as per NBEMS notice dated 08.07.2026. The information provided in this notice is not for admission to the DNB Post-Diploma courses.**
4. After allotment of the seats by the concerned counseling authority, all the candidates are required to report to the allotted institutes/ hospitals as per the counseling schedule along with the prescribed documents, in original, and “Seat allotment letter issued by Counseling Authority” and the “Relieving Letter” issued by the Parent Organizations.
5. All hospitals/ institutes are required to verify the documents prescribed in original at the time of joining of the candidate to the hospital along with “Seat allotment letter issued by concerned Counseling Authority” and the “Relieving Letter” issued to In-service candidates by their Parent Organizations. Kindly ensure fulfilment of prescribed eligibility criteria by the candidate for admission to the allotted seat before allowing them joining the course.

6. The medical examination of the candidate shall be done by the Medical Board of the concerned NBEMS accredited institute. Candidates found fit in the medical examination shall be allowed to join the course.
7. No candidates shall be permitted to join the allotted In-Service NBEMS seats beyond the time period in Counseling schedule published by MCC for State Counseling. However, in case of not being relieved from the Parent Organization within the stipulated time for reasons beyond control of the candidate, a request to allow delayed joining needs to be furnished through institute allotted along with the documents in support. The date of joining shall be considered after relieving from the organization.
8. For the 2026 admission session, the hospitals/ institutes shall be able to upload the data of candidates allotted In-service NBEMS seats through State Quota Counseling only after the conclusion of all rounds of AIQ NEET PG 2026 Counseling conducted by MCC. The notification in this regard shall be published by NBEMS accordingly in due course. All hospitals/ institutes and candidates are required to keep themselves updated of the notices issued by NBEMS time to time.
9. Participating hospitals/institutions and candidates are strictly advised to adhere with the counseling guidelines issued and notified by MCC and regular visit the MCC website to get update of counseling processes.
10. Any allotment found contrary to the prescribed eligibility criteria shall be liable for rejection/cancellation.
11. The timelines prescribed by MCC are intended to ensure transparency, uniformity, certainty in the admission process, and adherence to the academic calendar. Any deviation from the prescribed schedule may adversely affect registration, training timelines, eligibility for examinations, and other regulatory compliances applicable to candidates and institutions.
12. Accordingly, all State/concerned counseling authorities are strictly advised to:
 - adhere to the counseling schedule and operational guidelines issued by MCC for State quota counseling;
 - ensure completion of all rounds of counseling, seat allotment, joining, and admissions for NBEMS accredited DNB Post MBBS/NBEMS Diploma State in-service quota seats within the prescribed timelines; and
 - refrain from conducting counseling, allotment, or admissions beyond the timelines prescribed by MCC.
13. It shall be the responsibility of the NBEMS-accredited hospital/institute to ensure that the trainee fulfils the prescribed eligibility criteria before permitting the trainee to join the NBEMS course.

14. The hospital/institute shall exercise due diligence while verifying the original documents of the trainee, including the documents relating to educational qualifications, experience, category, eligibility and other requirements, as applicable.
15. In case any hospital/institute is found to have knowingly or negligently approved/forwarded false, fabricated, incorrect or otherwise deficient records/information/documents for the purpose of permitting a candidate to join an NBEMS course or for registration, the hospital/institute shall be liable for appropriate action under the applicable NBEMS rules, regulations, directions and accreditation norms, including imposition of monetary penalty of ₹1,00,000/- (Rupees One Lakh) per such candidate, wherever applicable.
16. This advisory is issued to avoid recurrence of such issues in future admission sessions and to ensure smooth implementation of the counseling and registration process.
17. For further clarification regarding the counselling process, please contact MCC at <https://mcc.nic.in/>
18. For queries pertaining to NBEMS, please contact NBEMS through its Communication Web Portal: <https://exam.natboard.edu.in/communication.php?page=main>

Note: In the event of any discrepancy, inconsistency, or difference in meaning between the English version and the Hindi version, the English version shall be construed as the final and binding text.



NBEMS